

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**  
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil First Appeal No. 1658/2025

Smt. Rampyari W/o Late Shri Ramjilal,

----Appellant

Versus

Shri Jagdish Parsad Awasthi S/o Shri Govind Prasad Awasthi,

----Respondent

---

|                   |   |                                                                       |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| For Appellant(s)  | : | Mr. Punit Singhvi                                                     |
| For Respondent(s) | : | Mr. Rakesh Kumar with<br>Ms. Priyanka Chauhan<br>Ms. Nisha Jhakhariya |

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**16/12/2025**

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि पूर्व में प्रकरण न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.10.2025 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हुआ था, उस दिन प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रकट किया गया था कि डिक्री के निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है और तब न्यायालय ने सुनवाई करने के लिए विचारण न्यायालय का अभिलेख मंगवाया था, परंतु इसके पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही आरंभ कर दी है और एक बार कब्जा वारण्ट भी जारी हो चुका है, जो निष्पादन न्यायालय ने वापस लिया है और दिनांक 19.12.2025 तिथि कब्जा वारण्ट जारी किए जाने के लिए निर्धारित है। ऐसी स्थिति में डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही को आगामी तिथि तक के लिए स्थगित किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्हें पूर्व में, जो इस संपत्ति के संबंध में विवाद चले हैं, उनमें विवादित संपत्ति का वास्तविक स्वामी माननीय उच्चतम न्यायालय तक ने घोषित कर दिया है। उसके पश्चात् यह वाद कब्जे के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आलोच्य डिक्री पारित की गई। उनका तर्क है कि वास्तविक स्वामी गत 50 वर्षों से कब्जे से दूर है। ऐसी स्थिति में वांछित स्थगन आदेश प्रदान नहीं किया जावे।

दोनों पक्षों को सुना गया।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि इस अपील को ग्राहता के प्रक्रम पर ही अंतिम रूप से तिथि निर्धारित कर सुन लिया जावे।

दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की प्रार्थना को स्वीकार कर अपील को अंतिम रूप से सुनवाई के लिए दिनांक 21.01.2026 को निर्धारित की जाती है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि वे दिनांक 21.01.2026 तक कब्जे लेने के संबंध में चल रही निष्पादन की कार्यवाही को Pursue नहीं करेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J